रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2015/चैत्र 3, 1937
No.109] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2015/CHAITRA 3, 1937

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2015

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2015

**सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/29/543.**—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 में, विनियम 9 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

"3क. अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक शेयरधारकों द्वारा शेयरों को दिये जाने (को निविदत्त किये जाने) को तथा उनके निपटान को सुकर बनायेगा, बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था के माध्यम से ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69-जैडबी/352/14]

**पाद टिप्पण** :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998, मूल विनियम, का.आ. सं. 975(अ), 14 नवम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. यह तत्पश्चात् -

(क) 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 776(अ), द्वारा

(ख) 28 नवम्बर, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. 1181(अ), द्वारा

(ग) 18 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. 745(अ), द्वारा

(घ) 21 अगस्त, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1331(अ), द्वारा

(ङ) 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2007, सं. 11/एलसी/जीएन/2007, द्वारा

(च) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

(छ) 7 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/36/3187, द्वारा

(ज) 8 अगस्त, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/16/6348, द्वारा

संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th March, 2015

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**(BUY-BACK OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015**

**No. LAD-NRO/GN/2014-15/29/543.—**In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 1998, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) (Amendment) Regulations, 2015.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of (Buy-back of Securities) Regulations, 1998, in regulation 9, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely,—

"3A. The acquirer or promoter shall facilitate tendering of shares by the shareholders and settlement of the same, through the stock exchange mechanism as specified by the Board."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69-ZB/352/14]

**Footnotes:**

1. Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 1998, the principal regulations, were published in the Gazette of India on November 14, 1998; *vide* S.O. No. 975(E).

2. It was subsequently amended –

   (a) on September 21, 1999 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* S.O. 776(E).

   (b) on November 28, 2001 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* S.O. 1181(E).

   (c) on June 18, 2004 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* S.O. 745(E).

   (d) on August 21, 2006 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* S.O. No. 1331(E).

   (e) on May 28, 2007 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* No. 11/LC/GN/2007.

   (f) on March 31, 2008 by SEBI (Payment of Fees)(Amendment) Regulations, 2008 *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/21669.

   (g) on February 07, 2012 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* LAD-NRO/GN/2011-12/36/3187.

   (h) on August 08,2013 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2013 *vide* LAD-NRO/GN/2013-14/16/6348.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.